

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०
आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

प्रीतारणी निवेदन है कि ग्राम गुढागौड़जी के
वर्ष 1295 में उर्धीका नाम हरिसिंह पुत्र नारायण 18 1/2
आधार कार्ड, पेन कार्ड, खान कार्ड करिह में नाम
हरिसिंह पुत्र हरिनारायण 18 1/2 दर्ज है। ठीक गयी का नाम
हरिसिंह पुत्र हरिनारायण
दुर्घटित किया जाना उचित है।

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में यणितानुसार आवेदक
का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किये जाने की अभिशांवा की जाती है / नहीं
की जाती है।

प्रशासन गांव के संग अभियान 2023

दिनांक :-

16/6/23
तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

- आदेश :-

दिनांक :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू०अ०)
उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व
रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बन्ध	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	गुढागौड़	2075-78	1295	हरिसिंह पुत्र नारायण 18 1/2 जाह जाह	हरिसिंह पुत्र हरिनारायण 18 1/2 जाह जाह

नोट :- शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
पालना की जावे।

260
17-6-23

24/6/23
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
प्रभास अधिकारी
प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व / 2020 /
प्रतिलिपि :-

239-43

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया को सूचनार्थ।

24/6/23
उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

प्रभास अधिकारी
प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

